



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 30, शनिवार, शाके 1942- जून 20, 2020
Jyaistha 30, Saturday, Saka 1942- June 20, 2020

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 20, 2020

संख्या प.1(1)चिस्वा/गुप-2/202:- विभाग की समसंख्यक एडवायजरी दिनांक 30.05.2020 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में ऐसे सभी चेरिटेबल ट्रस्ट एवं निजी संस्थान जिन्हें चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की रियायतें व सुविधाएँ प्रदान की गई हैं तथा ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें कोविड-19 के उपचार हेतु चिन्हित/अधिकृत/अनुमत किया गया है, को निर्देशित किया गया था कि वे अपने चिकित्सा संस्थान में आने वाले कोविड-19 के मरीजों का अपने सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक दायित्वों के अधीन समुचित उपचार करें तथा उन्हें अन्य किसी चिकित्सालय में जाने के लिए बाध्य/प्रेरित न करें।

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि इनमें से कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा उनके अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले कोविड-19 के मरीजों की जांच तो की जा रही है, किन्तु उनके पोजिटिव पाये जाने पर उन्हें कोविड-19 के उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालयों में रेफर किया जा रहा है तथा कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा उनके अस्पतालों में उपचार हेतु आने वाले कोविड-19 के मरीजों से अनावश्यक राशि वसूली की जा रही है। जो वैश्विक महामारी के इस गंभीर दौर में अमानवीय होने के साथ ही अपने व्यावसायिक, सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक दायित्वों से विमुख होना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना एवं राज्यादेशों की अवहेलना भी है।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्ष उपरान्त आम नागरिकों (**Non AB-MGRSBY Beneficiary**) के लिए राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

S.N.	Packages	Rate in INR Per day	Inclusions	Exclusions
1.	General Ward Per Day.	2000/-	This includes Bed charges Meals, Consultations Charges PPE Kit & monitoring. Investigations like CBC, Urine routine, Serum Creatinine, Chest X-ray, Procedures like Ryle tube insertion, urinary	Does not include: 1. Investigations like HIV Spot, Anti HCV, Hbs Ag, LFT, USG, 2D ECHO, ECG, CT Scan, MRI, PET Scan etc. 2. Medicines 3. Interventional procedures like but not limited to Central

3.	ICU With Ventilator (Per Bed)	4000/-	tract catheterization, IV cannula.	line insertion, Chemo port insertion, bronchoscopic procedures biopsies, ascitic/pleural tapping etc. 4. Individual Rooms/Isolations
----	-------------------------------	--------	------------------------------------	---

अतः कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में ऐसे सभी चेरिटेबल ट्रस्ट एवं निजी संस्थान जिन्हें चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की रियायतें व सुविधाएँ प्रदान की गई हैं तथा ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें कोविड-19 के उपचार हेतु चिन्हित/अधिकृत/अनुमत किया गया है, को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने चिकित्सा संस्थान में आने वाले कोविड-19 के मरीजों का उक्त निर्धारित दरों पर अपने सामाजिक, मानवीय एवं नैतिक दायित्वों के अधीन समुचित उपचार करें तथा उन्हें अन्य किसी राजकीय चिकित्सालय में जाने के लिए बाध्य/प्रेरित न करें।

उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

रोहित कुमार सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।